ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति

सीकर (राज.)

संशोधित एवं परिवर्द्धित संघ विधान-पत्र एवं नियमोपनियम

(विशेष साधारण सभा के प्रथम अधिवेशन में रविवार, दिनांक 25 अगस्त, 2013 प्रस्तावित तथा विशेष साधारण सभा के द्वितीय अधिवेशन में रविवार दिनांक 29 सितम्बर, 2013 को संशोधित, परिवर्द्धित एवं स्वीकृत)

संघ विधान-पत्र

1*. नाम : इस संस्था का नाम **"ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर"** होगा।

2*. स्थान : इसका पंजीकृत कार्यालय, **शिवसिंहपुरा, जिला-सीकर (राज.)** में होगा।

(अ) पंजीकृत केन्द्रीय कार्यालय का पता : इसका पंजीकृत कार्यालय **शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)** में होगा। शाखा सीकर जिले में कहीं भी हो सकती है।

पता- ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर
सुखवीरसिंह बाटड़ मार्ग, नवलगढ़ रोड़
शिवसिंहपुरा, पोस्ट- **कुड़ली**, वाया- **कटराथल**
जिला- **सीकर** (राज.) 332 024

(ब) मुख्य परिसर : शिवसिंहपुरा, सीकर स्थित संस्थान परिसर समिति का मुख्य परिसर होगा।

(स) सम्पर्क सूत्र : **दूरभाष नं. : 01572-248205**
E-mail : gm_skr86@yahoo.co.in

3*. उद्देश्य : इसके उद्देश्य निम्नांकित होंगे :-

i.) सीकर जिले में महिला शिक्षा सम्बन्धी स्कूल, कॉलेज तथा छात्रावास स्थापित करना व उनका संचालन करना।

ii.) महिला शिक्षा सम्बन्धी किसी पूर्व संस्था का अधिग्रहण करना व उसका संचालन करना।

iii.) महिलाओं के लिये उद्योग संस्थायें खोलना एवं ऐसे सामयिक शिविर आयोजित करना जिनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्योग जैसे- सिलाई आदि का प्रशिक्षण देने का प्रावधान हो।

iv.) महिला शिक्षा प्रसार के लिये स्कूल, छात्रावास व खेल के मैदान के लिये भूमि क्रय करना तथा उस पर निर्माण कार्य करवाना।

v.) गरीब व साधनरहित छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, छात्राओं के लिए पारितोषिक का प्रावधान करना।

vi.) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन-संग्रह करना; दान में नकद, उपकरण, चल या अचल सम्पत्ति स्वीकार करना तथा देनदारी की व्यवस्था करना।

vii.) अन्य कार्य जो महिला शिक्षा-प्रसार में सहायक हों।

viii.) उपरोक्त उद्देश्यों में कोई लाभ निहित नहीं है अपितु समाज एवं राष्ट्र हित में हैं।

4*. समिति का संचालन : समिति का संचालन समिति के नियमोपनियमों के अनुसार होगा।

इसकी प्रथम कार्यकारिणी समिति के प्राथमिक संचालन सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय व पद निम्नलिखित/अग्रांकित हैं :-

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

मंत्री
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर

क्रमांक	नाम मय पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1-	श्री सुखबीर सिंह बाटड़ पुत्र श्री करणसिंह बाटड़ ।	पिपराली रोड, सीकर ।	राज० प्रशासनिक सेवा से निवृत	अध्यक्ष
2-	श्री मामराज पुत्र श्री जीतमल	न्यू जाट कोलोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर	राज्य सेवा	मंत्री
3-	श्री सूरजमल पुत्रश्री चेताराम	देवीपुरा सर्किल, सीकर ।	कृषि	कोषाध्यक्ष
4-	श्रीबीरबल सिंह पुत्र श्री नानगराम ।	ग्राम पो०आ० बीबीपुर छोटी तहसील फतेहपुर।	कृषि	सदस्य
5-	श्री किशनाराम पुत्र श्री चूनाराम	ग्राम व पो० आ० धाना तह० लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर ।	कृषि	सदस्य
6-	श्री हेमाराम गोदारा पुत्र श्री लालाराम	पिपराली रोड सीकर	राजस्थान शिक्षा सेवा	
7-	श्री भगवानसिंह पुत्र श्री किशनराम	देवीपुरा रोड, सीकर	राजस्थान शिक्षा सेवा	

5- हम [illegible] हस्ताक्षर कर्ता जिनके नाम व पते आदि नीचे दिये हुये है उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति की स्थापना के इच्छुक है ।

क्रमांक	नाम मय पिता का नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1-	श्री सुखबीर सिंह बाटड़ पुत्र श्री करणसिंह बाटड़ ।	पिपराली रोड, सीकर ।	राज० प्रशासनिक सेवा से निवृत	[signature]
2-	श्री मामराज पुत्र श्री जीतमल	न्यू जाट कोलोनी नवलगढ़ रोड, सीकर	राज्य सेवा	मामराजसिंह
3-	श्री सूरजमल पुत्रश्री चेताराम	देवीपुरा सर्किल, सीकर ।	कृषि	सुरजमल
4-	श्री बीरबलसिंह पुत्र श्री नानगराम ।	ग्रामव पो० आ० बीबीपुर छोटा तह० फतेहपुर जिला सीकर ।	कृषि	[signature]
5-	श्री किशनाराम पुत्र श्री चूनाराम	ग्राम व पो० आ० धाना तह० लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर	कृषि	[signature]
6.	श्री हेमाराम गोदारा पुत्र श्री लालाराम	पिपराली रोड सीकर	राजस्थान शिक्षा सेवा	
7.	श्री भगवानसिंह पुत्र श्री किशनराम	देवीपुरा रोड सीकर	राजस्थान शिक्षा सेवा	

मामराजसिंह
मंत्री

सुरजमल
कोषाध्यक्ष

[illegible] उक्त निम्न हस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करता हूँ [illegible] सदस्यों ने हमारे सामने हस्ताक्षर किये है ।

(1- संस्था का पंजीयन क्रमांक 27/ [illegible])
(2- संस्था का नाम ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति [illegible])
(3- [illegible] संशोधित पत्र [illegible])
(4- [illegible] की संख्या [illegible])
(5- [illegible] 24/8/86)

कुमार नारायण एडवोकेट नोटरी
राजस्थान हाई कोर्ट, सीकर

हस्ताक्षर [illegible]
10-3-86
11-3-86
11-3-82

हस्ताक्षर

[signature]
अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति

[signature]
मंत्री
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

सुरजमल
कोषाध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर

ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति

सीकर (राज.)

— नियमोपनियम —

1*. नाम : इस संस्था का नाम **"ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर"** होगा।

2*. **पंजीकृत कार्यालय**: इसका पंजीकृत कार्यालय **शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)** में होगा। शाखा सीकर जिले में कहीं भी हो सकती है।

3*. पता : **ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर**
सुखवीरसिंह बाटड़ मार्ग, नवलगढ़ रोड़
शिवसिंहपुरा, पोस्ट- **कुड़ली,** वाया- **कटराथल**
जिला- **सीकर** (राज.) 332 024

(अ) सम्पर्क सूत्र : **दूरभाष नं.: 01572-248205**
E-mail : gm_skr86@yahoo.co.in

4*. उद्देश्य : इसके उद्देश्य निम्नांकित होंगे :-

i.) सीकर जिले में महिला शिक्षा सम्बन्धी स्कूल, कॉलेज तथा छात्रावास स्थापित करना व उनका संचालन करना।

ii.) महिला शिक्षा सम्बन्धी किसी पूर्व संस्था का अधिग्रहण करना व उसका संचालन करना।

iii.) महिलाओं के लिये उद्योग संस्थायें खोलना एवं ऐसे सामयिक शिविर आयोजित करना जिनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्योग जैसे- सिलाई आदि का प्रशिक्षण देने का प्रावधान हो।

iv.) महिला शिक्षा प्रसार के लिये स्कूल, छात्रावास व खेल के मैदान के लिये भूमि क्रय करना तथा उस पर निर्माण कार्य करवाना।

v.) गरीब व साधनरहित छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, छात्राओं के लिए पारितोषिक का प्रावधान करना।

vi.) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन-संग्रह करना; दान में नकद, उपकरण, चल या अचल सम्पत्ति स्वीकार करना तथा देनदारी की व्यवस्था करना।

vii.) अन्य कार्य जो महिला शिक्षा-प्रसार में सहायक हों।

viii.) उपरोक्त उद्देश्यों में कोई लाभ निहित नहीं है अपितु समाज एवं राष्ट्र हित में हैं।

5.* **सदस्यता :** भारत का कोई भी वयस्क नागरिक (एकल अथवा संयुक्त नाम) एवं प्रवासी/अप्रवासी भारतीय तथा फर्म/ट्रस्ट/समिति जो इसके उद्देश्यों में विश्वास रखता हो, सदस्य हो सकेगा। कार्य समिति को अधिकार होगा कि किसी इच्छुक व्यक्ति की सदस्यता स्वीकार करे या न करे। सदस्यों की श्रेणी व देय शुल्क निम्नानुसार होगा :-

(1). **संरक्षक सदस्य** :- जो व्यक्ति संस्था को ₹ 5,100 या अधिक का योगदान करेगा वह संरक्षक सदस्य होगा। संरक्षक सदस्य स्थायी होगा।

(2) **आजीवन सदस्य** :- जो व्यक्ति संस्था को ₹ 1,100 का योगदान करेगा वह आजीवन सदस्य होगा। यह सदस्य स्थायी होगा।

(3) **सम्मानित सदस्य** :- जो सदस्य संस्थान को ₹ 21,000 या इससे अधिक राशि का योगदान करेगा वह सम्मानित सदस्य होगा।

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

मंत्री
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर

(4) **विशेष आमंत्रित सदस्य** :- कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कोई विशिष्ट व गण्यमान्य व्यक्ति, जो संस्था के लिये उपयोगी हो, नामजद किया जावेगा जो विशेष आमंत्रित सदस्य होगा। वार्षिक शुल्क का नियम इन पर लागू नहीं होगा। इनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा।

6*. संस्था के अंग :- संस्था के निम्नांकित अंग होंगे -

क. साधारण सभा :- जिसके सदस्य संरक्षक, आजीवन, सम्मानित एवं विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

ख . कार्यकारिणी समिति :- जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

7*. साधारण सभा :-

(1) साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी। आवश्यकता होने पर कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा आवेदन पर या कार्यकारिणी द्वारा इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।

(2) साधारण सभा की बैठक के लिये सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।

(3) साधारण सभा अध्यक्षता के लिये अपना अध्यक्ष चुनेगी।

(4) इसके निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होंगे। मतदान में समान मत होने की दशा में अध्यक्ष अपना विशेषमत देने का अधिकारी होगा।

(5) इसका कोरम सदस्य संख्या का एक तिहाई या 111, जो भी कम हो, होगा।

(6) साधारण सभा के निम्नांकित कार्य होंगे :-

(क) कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, हिसाब एवं आंकड़ों आदि पर विचार करना व स्वीकृत करना।

(ख) वार्षिक बजट पास करना।

(ग) कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव करना। ये चुनाव उस मिटिंग के अध्यक्ष की देख-रेख में होंगे।

(घ) जांच के लिये आडिटर्स नियुक्त करना व उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

(ड़) अन्य कार्य नियमान्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से करना।

(च) साधारण सभा नव-निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यकारिणी के गठन एवं पदाधिकारियों के मनोनयन के लिए अधिकृत कर सकेगी।

8*. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

क (1) इसके अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव साधारण सभा करेगी।

(2) कार्यकारिणी का अध्यक्ष सदस्यों की बैठक बुलायेगा तथा उसमें उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जावेगा।

(3) पदाधिकारियों का चुनाव होने के बाद वे तीन दिन में पूर्व पदाधिकारियों से कार्य-भार सम्भाल लेंगे।

(4) इसकी अवधि 03 वर्ष होगी।

ख **अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(1) कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) कार्यकारिणी समिति के कार्य सम्बन्धी नियम बनायेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति की बैठक में किसी मुद्दे के पक्ष व विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष विशेष मत का प्रयोग कर अवरोध दूर करेगा।

(4) कार्यकारिणी अध्यक्ष संस्थान समिति का "**मुख्य कार्यकारी अधिकारी** (Chief Executive Officer- C.E.O.)" होगा।

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति

मंत्री
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर

ग **उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के अधिकार होंगे।

घ **सचिव के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(1) संस्था के संवैधानिक व नियमित कार्य करेगा।

(2) संस्था का कानूनी प्रतिनिधि होगा। संस्था के खिलाफ या पक्ष में कार्यवाही सचिव के नाम से होगी।

(3) संस्था के कार्यालय का उत्तरदायित्व निभायेगा तथा स्कूल, कॉलेज व छात्रावास के प्रबन्ध का संचालन करेगा।

(4) अध्यक्ष की सहमति से कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा की बैठक बुलायेगा। तत्सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करेगा, सूचनायें निकालेगा व बैठक की मिनिट्स तैयार करेगा।

(5) संस्था के लिये धनसंग्रह के उपाय सुझाकर धन-संग्रह की कार्रवाई करेगा।

ङ **सहसचिव के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(1) सचिव की अनुपस्थिति में सहसचिव कार्य करेगा।

(2) सहसचिव को सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के अधिकार होंगे।

च **कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :-**

(1) संस्था के हिसाब सम्बन्धी कार्य कोषाध्यक्ष करेगा।

(2) संस्था के हिसाब के आंकड़े तैयार करेगा, रोकड़ लिखेगा, अनावश्यक नकद को बैंक में जमा करायेगा तथा आवश्यकता होने पर नियमानुसार बैंक से निकलवाने की कार्यवाई करेगा।

(3) संस्था के लेखों को कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा के समक्ष पेश करेगा।

(4) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कर ऑडिटर्स से जांच करवायेगा।

9*. कार्यकारिणी के संवैधानिक अधिकार व कर्त्तव्य :-

(1) कार्यकारिणी का कार्यकाल 03 वर्ष होगा।

- यदि कार्यकारिणी की अवधि (03 वर्ष) में कोई स्थान किसी भी कारण से रिक्त हो जाये तो रिक्त स्थान पर कार्यकारिणी के साधारण बहुमत से किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर तदनुरूप रजिस्ट्रार संस्थाएं, सीकर को सूचित कर दिया जायेगा।

(2) कार्यकारिणी की बैठक साल में एक बार अवश्य होगी। आवश्यकता होने पर अधिक बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं।

(3) कार्यकारिणी की बैठक की सूचना 03 दिन पहले दी जावेगी, जिसमें बैठक का दिनांक, स्थान, समय व कार्यक्रम दिया हुआ होगा।

(4) कार्यकारिणी के सदस्यों में से दो तिहाई के आवेदन पर सचिव तीन दिन की सूचना पर कार्यकारिणी की बैठक बुलायेगा।

(5) कार्यकारिणी का कोरम आधे से अधिक सदस्य संख्या का होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसे स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस बैठक की कार्यवाही की पुष्टि कार्यकारिणी की आगामी बैठक में कराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

मंत्री
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर

(6) कार्यकारिणी के एक सदस्य का एक मत होगा व बैठक में निर्णय साधारण बहुमत से होंगे।

10*. कार्यकारिणी समिति के अधिकार :-

(1) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी में निहित होगी।

(2) कार्यकारिणी किसी भी कार्य के लिये उप समिति बना सकेगी।

(3) कार्यकारिणी वर्षवार लेखा तैयार कर साधारण सभा के समय उसकी बैठक में रखेगी।

(4) वार्षिक बजट तैयार करेगी जिसकी स्वीकृति साधारण सभा द्वारा होगी।

(5) संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में धन संग्रह करेगी, भवन निर्माण करावेगी तथा आवश्यकता होने पर पुराने भवन में रद्दोबदल करवायेगी व तुड़वायेगी।

(6) आवश्यकता होने पर जमीन व मकान, जो संस्था में निहित हैं, साधारण सभा की स्वीकृति से बेचान कर सकेगी।

(7) कार्यकारिणी चल व अचल सम्पति दान में ले सकेगी तथा आवश्यकता होने पर खरीद सकेगी।

(8) कार्यकारिणी, संस्था को आवश्यकता होने पर कर्ज ले सकेगी।

(9) कार्यकारिणी संस्था के फण्डस् को राजकीय नियमानुसार सिडूल्ड बैंक आदि में, जो आयकर विभाग से स्वीकृत शुदा हों, विनियोजित कर सकेगी।

(10) संस्था के कार्य के लिये एक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

(11) बैंक में खाते खोलकर चालू या बचत खाते में धन जमा करा सकेगी। अपने प्रस्ताव द्वारा दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से बैंक से धन निकालने को अधिकृत कर सकेगी।

(12) कार्यकारिणी संस्था के हित में अन्य कार्य पारित प्रस्ताव अनुसार करेगी जिसका प्रावधान उपरोक्त नियमों में होने से छूट गया हो।

11*. लेखा :- संस्था के नियमानुसार लेखे तैयार किये जायेंगे तथा पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान को मांगने पर जांच के लिये उपलब्ध कराये जावेंगे। निरीक्षण में जो सुझाव सहकारी विभाग से मिलेंगे उनका पूर्ण पालन किया जावेगा। **संस्था की सालाना कार्यावधि 01 अप्रेल से 31 मार्च होगी।**

12*.संशोधन :- नियपोपनियम के संशोधन धारा 12 राजस्थान सोसायटीज एक्ट, 1958 के अनुसार किये जावेंगे।

13*. निरीक्षण :- पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान एवं जिला रजिस्ट्रार संस्थायें को अधिकार होगा कि वह समिति का निरीक्षण जब चाहे करें। निरीक्षण के दौरान जो सुझाव दिये जावेंगे उनका पालन किया जावेगा।

14*. विघटन :- कभी समिति का विघटन होगा तो राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 की धारा 13 व 14 के तहत अमल किया जावेगा।

15*. सामान्य :- कोई सदस्य समिति की देनदारियों के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। समिति का कोई पदाधिकारी अपने कर्त्तव्य निर्वाह के दौरान अपने द्वारा किये गये कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा मगर धारा 11 राजस्थान सोसायटीज एक्ट, 1958 के अनुसार जो उत्तरदायित्व उस पर आता है, वह रहेगा।

16*. रक्षित निधि एवं उसका उपयोग :-

1. सामान्यतः संस्थान की रक्षित निधि में निरन्तर वृद्धि की जाती रहेगी।
2. अपने चालू खर्चों एवं विकास व्ययों को पूरा करने के लिए रक्षित निधि से अर्जित ब्याज का उपयोग संस्थान द्वारा किया जा सकेगा।

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

मंत्री
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

कोषाध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर

3. जब संस्थान के पास नकद एवं बचत बैंक खातों में जमा राशि की न्यूनता हो तो अपनी अल्पकालीन (अधिकतम 6 माह) वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान कार्यकारिणी अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर संचित रक्षित निधि के अधिकतम 20% तक उधार ले सकेगी। रक्षित निधि से उधार लेने एवं वापस जमा करवाने की उक्त क्रियाओं का आगामी वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन करवाना आवश्यक होगा।
4. अपरिहार्य परिस्थिति में, संस्थन के विकास/नवीनीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए वार्षिक साधारण सभा का नियमित अथवा विशेष सत्र बुलाकर उसमें उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुत पर कुल संचित रक्षित निधि के अधिकतम 20% तक का उपयोग किया जा सकेगा।

हम निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ता, जो समिति के पदाधिकारी हैं, प्रमाणित करते हैं कि संशोधित एवं परिवर्द्धित संघ विधान-पत्र एवं नियमोपनियमों की उपर्युक्त प्रति सही है।

(चैन सिंह आर्य पुत्र श्री बिड़दा राम)	**(सूरज मल ठेकेदार पुत्र श्री खेता राम)**	**(प्रो. हेमा राम गोदारा पुत्र श्री लाला राम)**
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
अध्यक्ष ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर (राज.)	कोषाध्यक्ष ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर	मंत्री ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर (राज.)

दिनांक 15/10/2013 को संशोधित

प्रमाणित किया जाता है कि ... में सम्मिलित है।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ, सीकर

पंजीयन संख्या 22/सीकर/85-86

ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति

शिवसिंहपुरा, सीकर (राजस्थान)- 332 024 Tel :- 01572-248205

बालिका उ. मा. विद्यालय	पी.जी.महिला महाविद्यालय	Girls Academy	बालिका छात्रावास
(कला,विज्ञान व वाणिज्य संकाय)	(कला व विज्ञान संकाय)	(An English Medium School)	
शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)	शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)	Shivsinghpura, Sikar (Raj.)	शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.)
दूरभाष : (01572) 248244	दूरभाष (01572) 248204	Tel :- (01572) 248206	दूरभाष (01572) 248720

Website : www.gmssikar.com • E-mail : gm_skr86@yahoo.co.in •

क्रमांक : ग्रा.म.शि.सं.स./सीकर/.................. दिनांक ....

35 वीं वार्षिक साधारण सभा संस्थान परिसर के सिल्वर जुबली हाल में दिनांक 24-09-2023 रविवार को सेवानिवृत्त वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जस्साराम चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई | उक्त बैठक में सामान्य कामकाज के अतिरिक्त संघ विधान पत्र में कतिपय संशोधन ध्वनिमत से पारित किए गए जो निम्नानुसार हैं :-

<u>नियमोपनियम</u>

संशोधन से पूर्व प्रावधान	संशोधन के पश्चात प्रावधान
1. आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को रु. 1,100/- का योगदान करेगा वह आजीवन सदस्य होगा | यह स्थायी सदस्य होगा |	1. आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को रु. 5,100/- का योगदान करेगा वह आजीवन सदस्य होगा | यह स्थायी सदस्य होगा |
2. संरक्षक सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को रु. 5,100/- या अधिक का योगदान करेगा वह संरक्षक सदस्य होगा | संरक्षक सदस्य स्थायी होगा|	2. संरक्षक सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को रु. 21,000/- या अधिक का योगदान करेगा वह संरक्षक सदस्य होगा | संरक्षक सदस्य स्थायी होगा |
3. सम्मानित सदस्य- जो सदस्य संस्था को रु. 21,000/- या अधिक का योगदान करेगा वह सम्मानित सदस्य होगा | सम्मानित सदस्य स्थायी होगा|	3. विशिष्ट सदस्य- जो सदस्य संस्था को रु. 51,000/- या अधिक का योगदान करेगा वह विशिष्ट सदस्य होगा | विशिष्ट सदस्य स्थायी होगा|
संस्था के अंग निम्नलिखित होंगे :-	
(क) साधारण सभा- जिसके सदस्य , संरक्षक, आजीवन, सम्मानित एवं विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे |	(क) साधारण सभा- जिसके आजीवन, संरक्षक, विशिष्ट तथा विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे |

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

सचिव
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Pal Singh
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.10.18 12:07:18 IST
Reason: Approved
Location:

पंजीयन संख्या 22/सीकर/85-86
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
शिवसिंहपुरा, सीकर (राजस्थान)- 332 024 Tel :- 01572-248205

बालिका उ. मा. विद्यालय (कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय) शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.) दूरभाष : (01572) 248244

पी.जी. महिला महाविद्यालय (कला व विज्ञान संकाय) शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.) दूरभाष (01572) 248204

Girls Academy (An English Medium School) Shivsinghpura, Sikar (Raj.) Tel :- (01572) 248266

बालिका छात्रावास शिवसिंहपुरा, सीकर (राज.) दूरभाष (01572) 248720

Website : www.gmsssikar.com • E-mail : gm_skr86@yahoo.co.in •

पत्रांक : ग्रा.म.शि.सं.स./सीकर/.................. दिनांक..........................

(7) साधारण सभा

पूर्व में प्रावधान	संशोधन पश्चात प्रावधान
3. साधारण सभा अध्यक्षता के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगी |	3. साधारण सभा के अध्यक्ष का मनोनयन संस्थान समिति की कार्यकारिणी करेगी |
6. (ग) कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव करना | ये चुनाव उस मीटिंग में अध्यक्ष की देखरेख में होंगे | 6.(च) साधारण सभा नव निर्वाचित अध्यक्ष को कार्यकारिणी के मनोनयन के लिए अधिकृत कर सकेगी |	6. (ग) संस्थान समिति कार्यकारिणी के अध्यक्ष का चुनाव साधारण सभा में यदि सर्वसम्मति से नहीं हो सके तो कार्यकारिणी द्वारा गठित चुनाव समिति अध्यक्ष का निर्वाचन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा करवाएगी | 6. (च) संस्थान समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को कार्यकारिणी के गठन अर्थात पदाधिकारियों व सदस्यों के मनोनयन का अधिकार होगा |

(8) कार्यकारिणी समिति का गठन

क. (1) इसके अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव साधारण सभा करेगी | (2) कार्यकारिणी का अध्यक्ष सदस्यों की बैठक बुलाएगा तथा उसमें उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा |	क. (1) इसके अध्यक्ष का चुनाव साधारण सभा करेगी | (2) संस्थान समिति का नवनिर्वाचित अध्यक्ष (1) उपाध्यक्ष (2) सचिव (3) सह-सचिव (4) कोषाध्यक्ष का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन करेगा जिसकी अधिकतम संख्या 16 होगी |

अध्यक्ष
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

सचिव
ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Pal Singh
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.10.18 12:07:18 IST
Reason: Approved
Location: